न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी आर.ए.एस.

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र संख्या :: 02/2016 ::
आर.सी.एम.एस. नम्बर :: 2016/00057 ::

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
भुण्डाराम पुत्र भैराराम जाति जाट, निवासी अबकाई ढाणी, ग्राम पंचायत चौपड़ा, तहसील सोजत जिला पाली (राज.)		1. नरसिंग राम पुत्र गणेशराम 2. ओमप्रकाश पुत्र गणेशराम 3. सायरी देवी पत्नी गणेशराम जातगण दर्जी, निवासीगण अबकाई ढाणी, तहसील सोजत जिला पाली (राज.) 4. ग्राम पंचायत चौपड़ा जरिये सरपंच तहसील सोजत जिला पाली

पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मनीष राजपुरोहित
अप्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल सोनी

–: निर्णय :–

दिनांक : 3/3/2020

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने पुर्नविलोकन याचिका अन्तर्गत धारा 97 (3) राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 21/2013 बअनवान नरसिंग राम बनाम भुण्डाराम में पारित आदेश दिनांक 01.10.2015 के विरूद्ध पेश की। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा जैर प्रार्थना पत्र पत्रावली तलब की गई। बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी का एक कब्जासुदा भूखण्ड ग्राम अबकाई ढाणी, ग्राम पंचायत चौपड़ा में स्थित है, जिसके पट्टे बाबत प्रार्थी द्वारा पंचायत में आवेदन किया गया, जिस पर पंचायत मिसल संख्या 67/02.08.1970 कायम कर पट्टा संख्या 48 दिनांक 04.08.1974 जारी किया गया, जिसे निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण ने एक पंचायत निगरानी न्यायालय में पेश की जो निगरानी संख्या 21/2013 बअनवान नरसिंग राम बनाम भुण्डाराम के दर्ज हुई, जिसमें प्रार्थी को बिना सुने ही एक पक्षीय बहस सुनकर दिनांक 01.10.2015 को निर्णय पारित कर दिया। जबकि उक्त निगरानी बाबत कोई नोटिस प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ, न ही उसने किसी अधिवक्ता को अपनी पैरवी हेतु नियुक्त किया तथा उक्त पट्टे के संबंध में जब ग्राम पंचायत से मूल रेकर्ड तलब किया गया तो, ग्राम पंचायत ने मात्र मूल पट्टा ही न्यायालय में प्रेषित किया गया, अन्य रेकर्ड नहीं होने बाबत कथन किए गए। जिस पर न्यायालय ने मात्र अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार ही ग्राम पचांयत द्वारा पंचायत नियमों की पालना नहीं की गई है एवं इसके आधार पर प्रार्थी का पट्टा निरस्त करने आदेश पारित किया दिया, जो विधि सम्मत नहीं है। प्रार्थी को निगरानी संख्या 21/2013 के आदेश की सर्वप्रथम दिनांक 04.02.2015 को जानकारी हुई, जब सरपंच एवं अप्रार्थीगण उसके घर पर आए तथा उसको धमकी दी कि उसका पट्टा निरस्त कर दिया गया है तथा उसे घर से बेदखल कर दिया जाएगा। तब प्रार्थी ने अधिवक्ता से मिलकर निगरानी के आदेश की प्रति प्राप्त कर दिनांक 09.02.2015 को पुनर्विलोकन

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया। अतः प्रार्थना पत्र पेश करने हुई देरी को क्षमा करवाते हुए, प्रार्थना पत्र को अन्दर म्याद शुमार फरमावे जावे तथा रिव्यु प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाकर आदेश दिनांक 01.10.2015 को वापिस लिया जाकर प्रार्थी को सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान करावें।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ने पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र आदेश पारित होने के 90 दिवस के भीतर पेश नहीं कर 131 दिवस पश्चात पेश किया जो, प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका संख्या 21/2013 दर्ज होने के पश्चात प्रार्थी श्री भूण्डाराम को न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब किया गया, उक्त नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर भूण्डाराम की ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत गहलोत ने वकालतनामा पेश किया। न्यायालय द्वारा वांछित रेकर्ड तलब करने पर ग्राम सेवक पदेन सचिव, ग्राम पंचायत चौपड़ा ने जरिये पत्र दिनांक 24.04.2014 के द्वारा मात्र मूल पट्टा बुक न्यायालय में पेश की तथा मूल मिसल एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर अनुपलब्ध होने बाबत अवगत कराया। इसके पश्चात पत्रावली दिनांक 01.10.2015 को वास्ते बहस नियत थी, उक्त दिवस प्रार्थी भूण्डाराम एवं उनके अधिवक्ता बार–बार आवाजे लगवाने के पश्चात भी न्यायालय में अनुपस्थित रहने से न्यायालय द्वारा बहस एकपक्षीय सुनी गई तथा निगरानी का मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया गया। जो विधि सम्मत है। न्यायालय द्वारा पट्टा निरस्त कर प्रकरण इस आशय से रीमाण्ड किया कि मौके की जांच कर व बाद जांच पंचायत राज नियम 1994 के नियम 140 से 160 की पालना करते हुए विधिसम्मत कार्यवाही करे। इस प्रकार न्यायालय ने उक्त निगरानी याचिका सुनकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है, जिसमें किसी भी प्रकार के कोई कानूनी तथ्य देखने से वंचित नहीं रहे है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोनक प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

हमने विद्धान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं मूल निगरानी याचिका का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र निर्धारित समयवधि में पेश नहीं कर, समयवाधि गुजरने के लगभग एक माह से अधिक समय व्यतीत होने के पश्चात पेश किया है, लेकिन हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी के हक–अधिकारों का प्रश्न निहित होने से पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार किया जाता है। पत्रावली व इस न्यायालय की निगरानी याचिका संख्या 21/2013 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा यह पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय से पेश किया कि उनके नाम जारी नोटिस विधिवत तामील नहीं हुआ तथा उनके द्वारा किसी भी अधिवक्ता को अपनी ओर से पैरवी करने हेतु नियुक्त नहीं किया। यह तथ्य मानने योग्य नहीं है क्योंकि मूल निगरानी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूण्डाराम के नाम दिनांक 24.04.2014 को न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी हुआ, जो उसके स्वयं द्वारा तामील किया गया, जिसकी ताईद पत्रावली सलंग्न नोटिस से होती है, इसके पश्चात भूण्डाराम की ओर से अधिवक्ता श्री नवनीत गहलोत ने वकालतनामा पेश किया, जिसकी भी ताईद पत्रावली संलग्न वकालतनामे से होती है। इससे स्पष्ट है कि प्रार्थी भूण्डाराम को सुनवाई एवं अपना पक्ष रखने का न्यायालय द्वारा यथोचित समय दिया गया। इसके बावजूद भूण्डाराम एवं उनके अधिवक्ता नियत तारीख पेशी पर न्यायालय में उनके नाम की बार–बार आवाजे लगवाए जाने के वाबजूद भी अनुपस्थित रहने से बहस एकपक्षीय सुनी जाकर निर्णय पारित किया। जिसमें कोई तथ्य सुनवाई से रह गया हो, ऐसा परिलक्षित नहीं होता है। पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र का दायरा सीमित है, इस संबंध में आदेश 47

अति० जिला कलक्टर, पाली

नियम 1 सी.पी.सी. में प्रावधान दिए गए है कि "erreor apparent on the face of record" या कोई तथ्य सुनने से या न्यायालय के संज्ञान में आने से रह गया हो, तो पुनरावलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त समस्त तथ्यो के आधार पर पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97(3) राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज किया जाता है। निगरानी संख्या 21/2013 बअनवान नरसिंग राम बनाम भुण्डाराम के पारित निर्णय दिनांक 01.10.2015 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति ग्राम पंचायत में प्रेषित हो।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली

निर्णय आज दिनांक 3/3/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति.जिला कलेक्टर,पाली